न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 90/21 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थी :– 1. हरीराम पुत्र चन्दीराम जाति मेघवाल
निवासी सरूपे का तला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. मघनराम पुत्र जैमलराम जाति मेघवाल
निवासी सरूपे का तला तहसील धनाऊ
2. शेरू पुत्र बादल
3. सारों पत्नी बादल जातियान मुसलमान
निवासी सरूपे का तला
तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर।
3. श्रीमान तहसीलदार धनाऊ।

वकील प्रार्थी :– श्री ठाकराराम कड़वासरा

निर्णय

दिनांक 29.06.2022

प्रार्थी हरीराम पुत्र चन्दीराम जाति मेघवाल निवासी सरूपे का तला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एक काश्तकार है। प्रार्थी को अपने खातेदारी एवं कब्जाशुदा खेत मौजा सरूपे का तला पटवार क्षेत्र सरूपे का तला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बींजासर तहसील धनाऊ के खसरा सं. 694/260 रकबा 74.[illegible] भूमि का आया हुआ है जिसमें प्रार्थी का 1/5 हिस्सा है जिस पर प्रार्थी [illegible] अपने रहवास हेतु ढाणियों, टांके व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। [illegible] ढाणिया पर आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 261 रकबा 21.14 बीघा व खेत [illegible] संख्या 693/260 रकबा 21.08 बीघा मौजा सरूपे का तला पटवार क्षेत्र सरूपे का तला तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.09.23 10:24:45 IST
Reason: SelfAttested

धनाऊ जिला बाड़मेर के खेत सेढ़े – सेढे डामर सड़क सरूपे का तला से गौहड़ का तला सड़क मार्ग चलता है। जो प्रार्थी को चल कर आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। एवं काश्त के समय प्रार्थी की जोत खेत खसरा संख्या 694/260 रकबा के चारों ओर के काश्तकार अपनी काश्त कर लेते जिससे प्रार्थी को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते है एवं हरबार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। झगड़ा होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजुद भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नही हुआ अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती हैं। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार धनाऊ को उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार धनाऊ से उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार वीरमदान भू अभिलेख निरीक्षक वृत बींजासर कार्यालय तहसीलदार धनाऊ के आदेश क्रमांक/2022/313 दिनांक 28.02.2022 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज ग्राम सरूपे का तला पटवार मण्डल सरूपे का तला पर श्री राकेश मीणा पटवारी के साथ पहुंचे। समस्त पक्षकारों को नोटिस जारी कर मौके पर उपस्थित होने के संबंध में अवगत करवाया गया। समस्त पक्षकारों में से मघनराम, शेरू व सारों मौके पर उपस्थित पाये गये। जिनकी उपस्थिति में मौका मुआयना किया गया। एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई– जो इस प्रकार है –

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मघनराम पुत्र जेमलराम कौम मेघवाल सा0 सरूपे का तला	261	21.14 बीघा	15 फिट	0.03	सरूपे का तला	–	बा.सो.
2	शेरू वल्द बादल सारों पत्नी बादल कौम मुसलमान	693/260	21.08 बीघा	15	0.03	सरूपे का तला	–	बा.सो.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranji Bhai Kalbi
Date: 2022.09.23 10:24:45 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया ।

जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	रास्ते की चौडाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मघनराम पुत्र जेमलराम कौम मेघवाल सा0 सरूपे का तला	261	21.14 बीघा	15 फिट	0.03	सरूपे का तला	–	बा.सो.
2	शेरू वल्द बादल सारो पत्नी बादल कौम मुसलमान	693 / 260	21.08 बीघा	15 फिट	0.03	सरूपे का तला	–	बा.सो.

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा वर्णित उपरोक्त 261 रकबा 21.14 बीघा व 693 / 260 रकबा 21.08 बीघा के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थीनी को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा / टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी / संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी / डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यातिक आवश्[illegible]जर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) [illegible] काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा [illegible] से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया [illegible].00 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.09.23 10:24:45 IST
Reason: SelfAttested

पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। तथा क्षतिपूर्ति की राशि डीएलसी दर की दो गुनी राशि प्रार्थी विप्रार्थीगण को अदा करेगें। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीनी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार सेड़वा द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चिय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार करता हो तो प्रार्थी द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 15 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थी को उक्त 15 फीट चौड़े रास्ते के केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगा।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि [illegible] में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.09.23 10:24:45 IST
Reason: SelfAttested

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को 15 फीट चौडा रास्ता दिए जाने एवं क्षतिपूर्ति की राशि नियमानुसार विप्रार्थीगण को देने का आदेश आज दिनांक 29.06.2022 को इस न्यायालय से आदेश दिया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावें।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मेडवा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.09.23 10:24:45 IST
Reason: SelfAttested